



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1999]
No. 1999]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 2010/आश्विन 6, 1932
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2010/ASVINA 6, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2010

क्र.आ. 2350(अ).—केंद्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के तत्कालीन पोट परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक क्र.आ. 724 (अ) तारीख 8 मई, 2007, द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के 405.000 कि.मी. से 485.000 कि.मी. (रायपुर - नागपुर सेक्शन) तक के भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 405.000 कि.मी. से 485.000 कि.मी. (छत्तीसगढ़ / महाराष्ट्र सीमा - वेणगंगा त्रिज सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सेक्शन कहा गया है), तक के विद्यमान दो लेन वाली सड़क को चार लेन की सड़क के डिजाइन, इंजीनियरी निर्माण, प्रचालन और अनुसंधान के लिए मैसर्स अशोका हाईवे (भंडारा) लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अशोका हाऊस, अशोका मार्ग वदाला, नाशिक - 422011 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त करार कहा गया है) के सम्बन्ध में उक्त सेक्शन के निर्माण, अनुसंधान, प्रबंध और प्रचालन में अन्तर्वलित व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच किए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते

करती है कि उक्त सेक्शन (7.944 कि.मी के वन क्षेत्र के भाग को छोड़कर जो कि 422.340 कि.मी., 431.820 कि.मी. से 434.694 कि.मी. और 458.172 कि.मी. से कि.मी तक है) के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रकार स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर फीस उदग्रहीत और संगृहीत करेगी और रियायतग्राही को प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ती की तारीख तक उक्त फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है,

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	प्रत्येक एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति कि.मी. आधार दर पर फीस (रूपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान (एल सी वी)	0.70
3.	ट्रक या बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान (>2 धुरीय), अर्थ मूविंग उपस्कर और भारी निर्माण मशीनों सहित	2.25

टिप्पण:-

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,

(i) "वास्तविक फीस" से उक्त सेक्शन के सड़क उपयोक्ताओं से प्रभारित, निम्नलिखित के आधार पर, वास्तविक फीस अभिप्रेत है -

(क) परियोजना राजमार्ग की लम्बाई -

(ख) ऊपर की सारणी में सम्यक् रूप से यथा दर्शित फीस की आधार दर और जो एक रूपरे के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन, स्वतन्त्र सलाहकार द्वारा, उक्त कसर के उपबन्धों के अनुसार उक्त सेक्शन के पूरा होने पर यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है ।

(iii) "स्थानीय यातायात" से कार/ जीप / यान के लिए संदेय फीस के संबंध में यातायात का निम्नलिखित प्रवर्ग अभिप्रेत है अर्थात् :-

"स्थानीय यातायात प्रवर्ग I" से निम्नलिखित अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित प्रवर्गों में आने वाले उपयोक्ता सम्मिलित होंगे, अर्थात्-

- (1) ऐसे ग्रामों, नगरों या शहरों के निवासी जिनकी सीमा फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर आती है ;
- (2) फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापन या औद्योगिक इकाइयाँ ;
- (3) फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित हैं या अपने कार्यालय रखने वाले स्थापनों / औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी ; और
- (4) ऐसे स्वनियोजित व्यक्ति / कारोबारी जिनका कार्य स्थल फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर है ।

(ख) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग II" से निम्नलिखित प्रवर्गों में आने वाले स्थानीय उपयोक्ता अभिप्रेत हैं जिसमें निम्नलिखित हैं -

- (1) ऐसे ग्रामों, नगरों या शहरों के निवासी जिनकी सीमा फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर आती है ।
- (2) फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापन या औद्योगिक इकाइयाँ हैं ।
- (3) ऐसे स्थापनों / औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी जो फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित है या जिनका कार्यालय स्थित है।
- (4) स्वनियोजित व्यक्ति या कारोबारी जिनका कार्य स्थल फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर है

(iv) "समाप्ति की तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त करार, उस करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है;

(v) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु उक्त करार में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस करार में हैं ।

2. 1 सितम्बर से प्रभावी प्रत्येक वर्ष फीस की दर तथा उसका पुनरीक्षण की संगणना निम्नानुसार की जाएगी:-

आधार फीस X $\frac{\text{थो.की.सू. ख}}{\text{थो.की.सू. क}}$ X उक्त शेक्शन की लम्बाई, कि.मी. में ।

जहाँ

• थो.की.सू.- क = जून 1997 को थोक कीमत सूचकांक है अर्थात् (131.4)।

- * डी.सू. - ख = फीस पुनरीक्षण तारीख से पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपलब्ध औसत थोक कीमत सूचकांक है ;
- * डी.सू. से आर्थिक सलाहकार, वाणिज्यक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा जारी किया गया थोक कीमत सूचकांक या अन्य कोई सूचकांक जो इसको प्रतिस्थापित कर सके, अभिप्रेत है ;

फीस का संग्रहण, 449.260 कि.मी. पर अवस्थित टोल प्लाजा पर किया जाएगा ।

जब किसी यान को किसी दिन उक्त सेक्शन को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, उपयोगता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में प्लाजा को पार करते समय उक्त सेक्शन के स्तम्भ (3) में यथा यथाविधि आधार दर पर अनेक चक्करों के लिए फीस का डेढ़ गुना संदाय कर दे या जहाँ ऐसे यान को उक्त सेक्शन का पूरे मास में निरंतर और बार-बार उपयोग करना हो तो यान का स्वामी उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट एक चक्कर के लिए लागू दर के तीस गुना के समतुल्य प्रभारों के संदाय पर मासिक पास प्राप्त कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "दिन" की चौबीस घंटे की सतत अवधि के रूप में संगणना की जाएगी।

5. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संगृहीत नहीं की जाएगी, अर्थात:-

- (i) ऐसे यान -
- (अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति" प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-
 - (क) भारत के राष्ट्रपति;
 - (ख) भारत के उपराष्ट्रपति;
 - (ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;
 - (घ) भारत के राजकीय तौर पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
 - (ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;
 - (च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों; या
 - (छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;
 - (आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;

का यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथाविस्तारित) के उपबंधों के अनुसार छूट के पात्र हैं।

- (iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यारूढ़ यान।

रियायतग्राही निम्नलिखित छूट दसो से अधिक स्थानीय यातायात से फीस संग्रहीत नहीं करेगा अर्थात्:-

(क) कार / जीप / वैन के लिए :

- (i) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 1 : 150.00 रुपये का मासिक पास ;
 (ii) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 2 : 300.00 रुपये का मासिक पास ।

(ख) स्कूल बसें : स्कूली छात्रों को ले जाने वाली स्कूल बसों के लिए टोल प्लाजा पार करने के लिये स्कूल के प्राचार्य के लिखित अनुरोध के साथ स्कूल की मान्यता तथा बस का रजिस्ट्रीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्राप्ति पर एक हजार रुपये की दर से मासिक पास जारी किये जाएगा।

(ग) हल्के वाणिज्यिक यान या ट्रक (स्थानीय परिवहन प्रवालक) :

स्थानीय परिवहन प्रवालकों को 20 कि.मी. के भीतर उन्हें चलाने का सबूत अर्थात् स्पष्ट रूप से वाहन की वापसी के ब्योरे विनिर्दिष्ट करते हुए प्रारम्भिक और अन्तिम स्थान के लिए माल का चालान, प्रस्तुत करने पर प्रत्येक प्रवेश पर स्थानीय परिवहन प्रवालकों से फीस ली जा सकेगी और ऐसे परिवहन के लिए फीस, प्रत्येक बार आने के लिए ट्रकों के लिये पच्चीस रुपये और प्रत्येक बार आने के लिए हल्के वाणिज्यिक यान के लिये पन्द्रह रुपये फीस होगी।

परन्तु जहां स्थानीय यातायात द्वारा स्वतंत्र उपयोग के लिए पृथक सेवा लेन खुली हुई है वहाँ रियायतग्राही ऐसे स्थानीय यातायात से फीस संग्रहीत नहीं करेगा यदि वे उक्त सेक्शन का उपयोग करते हैं।

7. जब कभी किसी सेवा लेन का निर्माण किया जाएगा तो रियायतग्राही ऐसी लेन के उपयोक्ताओं से कोई फीस संग्रहीत नहीं करेगा।

8. किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस संग्रहीत नहीं की जाएगी जो उक्त सारणी के अंतर्गत नहीं आती है।

3776 40/10-2

9. रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का कथन भी करते हुए दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) इस अधिसूचना का सार भी प्रकाशित करेगा और ऐसे सार को इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित फीस को प्रभावी करने से दस दिन पहले भी पुनः प्रकाशित करेगा ।

10. रियायतग्राही ऐसे किसी अधिकारी को फीस संग्रहण के भार साधक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा और रियायतग्राही तथा उक्त अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि फीस का संग्रहण करार की गई दरों से अधिक पर नहीं हो रहा है और फीस का संग्रहण, सड़क उपयोक्ताओं को असम्यक् कठिनाई पहुँचाए बिना सहज रूप से है और उससे संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी होंगे ।

11. फीस की दर, फीस के संवाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और ऐसे रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जा सकेगी, टोल बूथ से 500 मीटर आगे, टोल बूथ से 100 मी. आगे और टोल बूथ पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी और प्रदर्शित बोर्डों की ऊँचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालक, प्रदर्शित बोर्डों को आसानी से पढ़ सकें ।

12. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के पश्चात् किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम 45 दिन पहले, यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्रति की तारीख से 15 दिन के भीतर कोई टीका टिप्पणियाँ कर सके या स्पष्टीकरण यदि कोई हो माँग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं माँगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस, प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई मानी जाएगी।

[फा. सं. भाराराप्र/13013/548/सी.ओ./10-11/जीसी-नागपुर (405.0-485.0)बीओटी]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2010

S.O. 2350(E).-- Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 724 (E), dated the 8th May, 2007, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from Km 405.000 to Km 485.000 (Raipur - Nagpur section) of National Highway No. 6 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And Whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Ashoka Highways (Bhandara) Limited having its registered office at Ashoka House, Ashoka Marg, Vadala, Nasik - 422011 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for design, engineering, construction, operation and maintenance of the two lane section from Km 405.000 - Km 485.000 to four lane (Chattisgarh/ Maharashtra Border - Wainganga Bridge section) of National Highway No 6 in the State of Maharashtra (hereinafter referred to as the said section);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways (Collection of Fees by any Person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section (hereinafter referred to as the said agreement) hereby notifies that there shall be levied and collected fee at the base rate specified in column (3) of the following Table (hereinafter referred to as, the said Table) on the category of vehicles specified in column (2) thereof, for the use of the said section (except 7.944 Km portion in forest area from km 420.350 to km 422.340, km 431.820 to km 434.694 and from km 458.172 to Km 461.250) and authorises the Concessionaire to collect and retain the said fee from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:-

TABLE

S. No.	Category of Vehicle.	Base rate of fee per Km per vehicle per one way trip. (in rupees).
(1)	(2)	(3)
1	Car, passenger van or jeep	0.40
2	Light Commercial Vehicles (LCV)	0.70
3	Truck or Bus	1.40
4	Multi Axle Vehicle (>2 axle) including earth moving equipment and heavy construction machinery	2.25

Notes:-

1. For the purposes of this notification,
 - (i) "actual fee" means the fees actually charged from the road users of the said section on the basis of-
 - (a) length of the project highway,
 - (b) base rate of fee given in the above Table duly indexed, and shall be rounded off to nearest one rupee;
 - (ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section begins after issue of the completion certificate or the provisional completion certification as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of the said section in accordance with the provisions of the said agreement;
 - (iii) "local traffic" means the following type of traffic in relation to the fee payable for car/jeep/van:-
 - (a) Local Traffic category I" means and includes users falling into any of the following categories:-
 - (1) Residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
 - (2) Establishments /Industrial units located within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
 - (3) Employees of Establishments/Industrial units located or having their offices, within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza); and
 - (4) Self employed persons/businessmen having their place of work within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza).

(b) "Local Traffic category II" means and includes local users falling into any of the following categories:-

- (1) Residents of villages/towns/cities whose boundary fall within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
 - (2) Establishments/ Industrial units located within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
 - (3) Employees of Establishments/ Industrial units located or having their offices, within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza); and
 - (4) Self employed persons/businessmen having their place of work within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza).
- (iv) "termination date" means the date on which the said agreement expires pursuant to the provisions of that agreement or is terminated by termination notice;
- (v) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the said agreement shall have the meaning respectively assigned to them in that agreement.
2. The rate of fee and the revision thereof every year effective from 1st September shall be computed as follows:-

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \times \text{length in kilometer of the said section.}$$

Where

- WPI-A = is the Wholesale Price Index on June, 1997 i.e. (131.4).
- WPI-B = is the average Wholesale Price Index available for the year ending March, 31st preceding the fee revision date.
- WPI means the Whole Sale Price Index as released by the Office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Government of India or any other index replacing the same.

3. Fee shall be collected at the toll plaza located at Km 449.260.

4. When a vehicle has to cross the said section more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for multiple trips at one and a half times the rate as specified in column(3) of the said Table while crossing the toll plaza in the first trip itself or where a vehicle has to use the said section continuously and frequently for the entire month or more, then the vehicle owner may have a monthly pass on

3776 60/10 - 3

payment of charges equal to thirty times the rate applicable for a single trip as specified in column(3)of the said Table.

Explanation:- For the purpose of this notification "day" shall be counted as continuous period of twenty-four hours.

5. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-

(i) Vehicles-

(A) having VIP symbols or officially belonging to-

- (a) the President of India;
- (b) the Vice-President of India;
- (c) the Governor of a State and Lieutenant Governor of a Union territory;
- (d) a Foreign dignitary on State visit to India;
- (e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
- (f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislature Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle; or
- (g) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) the winner of gallantry award such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the competent authority for such award;

(ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);

(iii) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

6. Concessionaire shall not collect fees from local traffic in the excess of the following discounted rate:-

(a) Car/Jeep/Van:

- i) Local Traffic Category I:
ii) Local Traffic Category II:

Monthly pass of Rs 150.00;
Monthly pass of Rs 300.00.

(b) School Buses: Monthly passes for school buses, crossing the toll plaza may be given at a monthly rate of rupees one thousand after obtaining written request of the school principal along with documents showing the recognition of the school and the registration of the bus.

(c) Light Commercial Vehicle or Trucks (Local Transport Operators): Concessional fee may be taken from the Local Transport Operators on production of proof for plying within twenty kilometers i.e. goods challan showing origin and destination clearly specifying the return details of the vehicle and the fee for such transport shall be rupees twenty five for trucks for each entry and rupees fifteen for Light Commercial Vehicle for each entry:

Provided, that if a separate service lane is opened for free use by local traffic, the Concessionaire shall collect the fee from such local traffic, if they use the four lane highway.

7. As and when a service lane is constructed, the Concessionaire shall not collect any fee from the users of such lane.
8. No fee shall be collected from a mechanical vehicle, which is not covered under the said Table.
9. The Concessionaire shall publish the substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.
10. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection and the Concessionaire and the said officer shall be responsible to ensure that fees are collected at not more than the agreed rates and the fee collection is smooth without causing undue hardship to the road users and for all matters connected therewith.
11. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaint, if any, should be addressed, shall be conspicuously

and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booth, 100 meters ahead of the toll booth and at the toll booth also and the height of the display boards and the size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

12. The actual fee to be charged from users shall be computed by the Concessionaire and sent to the Authority for validation as soon as possible after 31st March, in every year, but at least forty-five days before the revised rate is to be effected so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarification, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/548/CO/10-11/GC-Nagpur (405.0-485.0) BOT]
S. S. GULIA, Director